समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान में ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ गई है। अग्निकांड से संबंधित आपदाओं की स्थिति में कम से कम क्षति हो सके इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर निम्न व्यवस्था की गई है :-

(1) अग्निशामक वाहन की प्रतिनियुक्ति :-

जिले में 03 बड़ी एवं 01 मध्यम तथा 03 वाटर मिस्ट टेकनोलॉजी की कुल-07 अग्निशामक वाहन उपलब्ध है। आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही अधिकतम 20 मिनट के अंदर अग्निशामक वाहन घटना स्थल पर पहुँच सके, इस उद्देश्य से निम्न प्रकार अग्निशामक वाहन की प्रतिनियुक्ति की गई है :-

क्र0	अग्निशामक वाहन का प्रकार	प्रतिनियुक्त स्थल	चालक का नाम	मोबाईल नं0
01	बड़ी अग्निशामक वाहन	मधेपुरा	श्री नरेश कुमार	8051348026
02	मध्यम् अग्निशामक वाहन	सिंहेश्वर	श्री बिजेन्द्र प्र0 यादव	9939392369
03	वाटर मिस्ट टेकनोलॉजी वाहन	मुरलीगंज	मो0 जहांगीर	9546654327
04	बड़ी अग्निशामक वाहन	कुमारखंड	-	-
05	बड़ी अग्निशामक वाहन	उदाकिशुनगंज	श्री ददन सिंह	9534243970
06	वाटर मिस्ट टेकनोलॉजी वाहन	बिहारीगंज	श्री रामचन्द्र यादव	8406813340
07	वाटर मिस्ट टेकनोलॉजी वाहन	चौसा	श्री गीता सिंह	8404856032

आग की सूचना जिला मुख्यालय/ अनुमंडल पदाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष/ सामान्य व्यक्ति से प्राप्त होने पर अग्नि स्थल के निकटत्तम प्रतिनियुक्ति स्थल से अग्निशामक वाहन तुरंत प्रस्थान करेंगे।

(2) स्थानीय स्तर पर पम्पसेट की व्यवस्था :-

अग्निशामक वाहन पहुंचने का इंतजार किए बगैर एवं सुदुर क्षेत्रों में जहाँ अग्निशामक वाहन को पहुंचने में कठिनाई होती है अथवा विलम्ब से पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में आग पर तुरंत काबु पाने के लिए स्थानीय स्तर पर डीजल पम्पसेट से आग बुझाने हेतु विभिन्न हॉर्स पावर के डीजल पम्पसेट का दर जिला स्तर पर 4 सदस्यीय टीम द्वारा निर्धारण किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	पम्पसेट की अश्वशक्ति	दर प्रति घंटा	मजदूरी	पाईप इत्यादि का भाड़ा	घटना स्थल तक पहुँचाने हेतु भाड़ा	पम्पसेट मजदूरी एवं घटना स्थल तक पहुँचाने हेतु भाड़ा सहित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	3HP	रू.85/- प्रति घंटा	दो मजदूर का 1/2 दिन का मजदूरी 247	100	68	500
2	5HP	रू.100/- प्रति घंटा	दो मजदूर का 1/2 दिन का मजदूरी 247	100	68	515
3	8HP	रू.110/- प्रति घंटा	दो मजदूर का 1/2 दिन का मजदूरी 247	100	68	525

सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी पम्पधारी द्वारा आग के बुझाने पर उपरोक्त के अनुरूप पीड़ित परिवारों के प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान करेंगे। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय व्यवस्था के तहत पम्पसेट से आग बुझाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) पंचायत निगरानी समिति :-

पंचायत स्तर पर आगलगी की रोकथाम हेतु पंचायत स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसमें संबंधित पंचायत के मुखिया अध्यक्ष होंगे तथा पंचायत सचिव सचिव होंगे। सरपंच, उप सरपंच, उप मुखिया निर्वाचन में हारे हुए मुखिया, हारे हुए सरपंच के साथ-साथ सभी वार्ड सदस्य एवं सभी पंच सदस्य होंगे। पंचायत स्तरीय निगरानी समिति आग से बचाव, सुरक्षा एवं आग लगने की स्थिति में तुरंत स्थानीय स्तर पर बुझाने हेतु पम्पसेट आदि की व्यवस्था अग्निशामक वाहन /अधिकारियों को सूचना देंगे एवं आग बुझाने के उपरान्त तथा मालिक के भुगतान प्रति को सत्यापित करेंगे, ताकि भुगतान अंचलाधिकारी द्वारा किया जा सके।

(4) बिजली :-

जिन ग्रामीण इलाको में तार की स्थिति अच्छी नहीं है, या तार ढीले हैं, वहां तत्काल सेपरेटर लगाने एवं एच0टी0 लाईन में गार्ड लगाने का आदेश कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को दिया गया है, तब तक अग्नि से सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 10.00 बजे से 5.00 बजे अप0 तक ग्रामीण इलाकों में विद्युत काटने का निदेश दिया गया है। सेपरेटर एवं गार्ड लगाकर विद्युत आपूर्ति इन इलाकों में भी सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी।

(5) अनुदान का भुगतान :-

आग से प्रभावित परिवारों को विभागीय मानदर के अनुरूप वस्त्र और बर्तन हेतु 3800/-, नगद अनुदान 3000/, खाद्यान के लिए 3000/- कुल 9800 (नौ हजार आठ सौ) रूपया के अतिरिक्त नष्ट झोपड़ी हेतु 4100/- रूपया गृह क्षति अनुदान दिया जाना है, इसके अतिरिक्त अधिक क्षति होने की स्थिति में प्रभावित लोगों को कैम्प में रखने की व्यवस्था भी किया जाना है।

(6) नियंत्रण कक्ष :-

आग लगी की घटना होने से संबंधित सुचना के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या-06476-222220 है। इसके अतिरिक्त मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र के लिए श्री जयन्त शर्मा, प्रभारी पदाधिकारी, अग्निशालय जिसका दूरभाष संख्या-06476-223234, 8873594460 एवं उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के लिए श्री ददन कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, अग्निशालय जिसका दूरभाष संख्या-06479-220022, 9534243970 है।

(7) वेबसाईट :-

आगजनी से संबंधित विभागीय निदेश, अनुदेश के साथ-साथ जिला स्तर से निर्गत आदेश-अनुदेश, कॉम्युनिकेशन प्लान, पम्पसेट मालिकों की सूची आदि की जानकारी जिला के वेबसाईट पर उपलब्ध है। जिसकी वेबसाईट -**http://madhepura.bih.nic.in** है।

ह0/-

प्रभारी पदाधिकारी

आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।

ज्ञापांक 181 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 10.4.2017

प्रतिलिपि : ब्युरो चीफ, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सहारा इंडिया, मधेपुरा टाईम्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रभारी पदाधिकारी

आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।